

परियोजना का नाम:- अखीमठ नगर पंचायत पेयजल योजना

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।

H0 /   
प्रयोक्ता: एजेन्सी  
Const. Division  
Uttarakhand Peyjal Sanshadhan Vikash  
Evam Nirman Nigam, Rudraprayag  
 

H0 / -  
जिलाधिकारी  
  
जिला अधिकारी  
रुद्रप्रयाग

नोट :- उक्त प्रमाण-पत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जायेगा।